न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–207/2026

टुनटुन कुमार बनाम बिहार राज्य

16.03.2026 आवेदक/अभियुक्त **टुनटुन कुमार पे0 जयलाल यादव,** जो तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं–10/2026 (अन्तर्गत धारा–126(2),352,351(2),3(5) बी.एन.एस. एवं धारा–25(1–बी)ए, 26 शस्त्र अधिनियम) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजनन्दन सिंह द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में श्रीमान् के न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावे तीन अन्य मुकदमा दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। आवेदक निर्दोष है, जिसे गलत अभियोग के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपित धारा–25(1–बी)ए, 26 शस्त्र अधिनियम लागू नहीं होता है। इसे सिर्फ मामले को गंभीर बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। आवेदक को पुलिस गिरफ्तार करने के फिराक में है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–126(2),352,351(2),3(5) बी.एन.एस. एवं धारा–25(1–बी)ए, 26 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यद्यपि इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 24.01.2026 को इस वाद के अभियुक्तगण सूचक बब्लू शर्मा को घेरकर गाली–गलौज किये एवं आवेदक अभियुक्त सूचक पर पिस्तौल तान दिये, जिसे सूचक के परिवार वालों द्वारा छीन लिया गया, किन्तु अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित पिस्तौल सूचक की पत्नी द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खाली मैगजीन लगा है एवं इस पिस्तौल को किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवेदक अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं किया गया है एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी इन्हें घटनास्थल से या किसी अन्य जगह से इस तथाकथित पिस्तौल के साथ गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। (लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा